

13.0.2024

मि. न. सि



राजस्थान लोक कल्याण न्याय आयोग के  
कार के तहत उक्त पक्षों को  
नोटिस जारी होने के बाद पत्रावली

श्री. राजस्थान लोक कल्याण आयोग  
सेवा केन्द्र गांधी पंचायत शानीपुरा

पर पक्ष दुप्री वारी मय वकील

उपरोक्त पक्षों को नोटिस जारी

करके। दोनों पक्षों को सुनना

उक्त। दोनों पक्षों को मजदूरी उक्त

सामग्री का से राजी नमा पत्रावली

वारी समझने के बाद आपन लेन

के सहमत है अतः बाद वारी किसे

बिना जाता है पत्रावली के अलावा

दोनों पक्षों से नम है तब तक

दाखिल है